



54

**न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर**

गा. पुनः स्थापन | भिण्ड | भू-रा | 2017 | 1971  
प्रकरण क्रमांक :- ..... / / 2017 रस्टोरेसन (पुनः स्थापन)

शस्त्रुधन सिंह पुत्र श्री गोधन सिंह जाति  
ठाकुर निवासी ग्राम सुन्दरपुरा तहसील लहार  
जिला भिण्ड मध्य प्रदेश -प्रार्थी

क्लर्क ऑफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश

बनाम

- 1- अमान सिंह पुत्र सुरजन सिंह
- 2- अभिलाख सिंह पुत्र मन्नू सिंह समस्त जातिगण ठाकुर समस्त निवासीगण ग्राम सुन्दरपुरा तहसील लहार जिला भिण्ड मध्य प्रदेश -प्रतिप्राथीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 9 नियम 32 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 15/05/2017 जिसके द्वारा प्रार्थी की निगरानी माननीय न्यायालय द्वारा अदम पैरवी मे निरस्त की गई है। पुनः स्थापन हेतु

महोदय,

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

- 1- यह कि, प्रार्थी ने अधीनस्त न्यायालय आयुक्त महोदय सम्भाग मुरैना के प्रकरण क्रमांक 35/2011-12 निगरानी व उनमान अमान सिंह आदि बनाम शस्त्रुधन सिंह आदेश दिनांक 20/05/2014 के विरुद्ध निगरानी माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत की थी।
- 2- यह कि, माननीय न्यायालय मे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी का प्रकरण क्रमांक 2091/1/2014 शस्त्रुधन बनाम अमान सिंह आदि था, प्रार्थी की उक्त निगरानी माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 15/05/2017 को आवेदक अधिवक्ता की अनुपस्थित होने के कारण अदम पैरवी मे निरस्त की गई।

29/6/17  
CS

III | पुनी | अथ | अ. 21. | 2017 | 1971

1417117

*Handwritten mark*

आवेदक का नाम श्री- अशोक शर्मा  
 उ परिचय हो कर निवेदन किया गया  
 है कि- आवेदक का निवास अथवा  
 होम में पुनी अथवा अथवा अथवा  
 हो गया। अतः आवेदक आवेदक  
 का अथवा अथवा अथवा अथवा  
 तथा R-2091-I/14 अथवा अथवा  
 के पुनी अथवा अथवा अथवा  
 अतः अथवा अथवा अथवा अथवा  
 है

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*